

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./9/अपर संचालक/स्टैनो/2019/

भोपाल, दिनांक /01/2019

// परिपत्र //

यह संज्ञान में आया है कि कतिपय जिलों में नर्सिंग एवं परिवार कल्याण संवर्ग में पदस्थ नियमित अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही नहीं की जा रही है। परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में नर्सिंग संवर्ग एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति/आवंटन किया जाता है तो प्रथम उपस्थिति के दौरान ही उनके समस्त दस्तावेजों का सत्यापन करते हुये कर्मचारियों के यूनिक एम्पलाई कोड तथा प्राण प्राप्त किये जाने सम्पूर्ण कार्यवाही की प्रक्रिया का पालन भी समयवधि में सुनिश्चित करे। यदि किसी भी अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भुगतान की कार्यवाही नहीं की जाती है तो संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जवाबदार होंगे।

(रूही खान)

अपर संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश।

क./9/अपर संचालक /स्टैनो/2019/74

भोपाल, दिनांक 23/01/2019

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1 आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश भोपाल।
- 2 समस्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य की ओर पालनार्थ।
- 3 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
- 4 समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय मध्यप्रदेश।
- 5 समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी मध्यप्रदेश।
- 6 प्रभारी एम.आई.एस. की ओर विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करावे।

Rohi
अपर संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश